

--: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपरिथत होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती हैं। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज							
1	2	3	4	5	स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (है००)	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (है००)
1397C	132	शिवपति प्रसाद प्रसाद	579	2.91	शिवपति प्रसाद प्रसाद	579	2.91
		श्री रावणा राजपूत	580		श्री रावणा राजपूत	580	
		श्री. ई. ई. राजपूत	804		श्री. ई. ई. राजपूत	804	
		श्री. ए. ए. राजपूत	586		श्री. ए. ए. राजपूत	586	

क्रमांक :-

289
14/10

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हत्का

पालना सुनिश्चित करें।

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार

उप तहसीलदार, मौलासर